राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/07/2023 को संपन्न 476वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री जी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 474वीं एवं 475वीं बैठक क्रमशः दिनांक 13/07/2023 एवं 14/07/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 474वीं एवं 475वीं बैठक क्रमशः दिनांक 13/07/2023 एवं 14/07/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स त्रिमूर्ति रि–रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड, फेस–2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2448)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/430166/ 2023, दिनांक 21/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् फेस–2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–0.8157 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस.पाईप्स–15,000

टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 12.89 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से आवेदित प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स फरहदा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अरूण कुमार नशीने), ग्राम–फरहदा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2450)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/430200/ 2023, दिनांक 22/05/2023 द्वारा पर्यावरणी स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–फरहदा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक – 599 एवं 600, कुल क्षेत्रफल–1.715 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती सतिन्दर कौर), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2449)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429852/2023, दिनांक 22/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 295, कुल क्षेत्रफल – 0.63 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स लो–ग्रेड लाईमस्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री महेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम–नंदपुरा, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2454)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430454/2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नंदपुरा, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1463, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,750 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स दोन्देकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन कुमार अग्रवाल), ग्राम–दोन्देकला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2453)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430299/ 2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दोन्देकला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक–126/1, 126/2, 126/5, 127/1, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2 एवं 128/4, कुल क्षेत्रफल – 2.687 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलदीप वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 126/1, 126/2, 126/5, 127/1, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2 एवं 128/4, कुल क्षेत्रफल–2.687 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 24/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/06/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दोंदेकला का दिनांक 12/08/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ द अप्रुव्ड क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4263/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 18/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3009/कोपा/उ.प./चूना.पत्थ./2022–23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 13.925 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3009/कोपा/उ.प./चूना.पत्थ./2022–23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार स्वीकृत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 23/06/2017 से 22/06/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स ओसेन स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। उत्खनन के संबंध में भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दोंदेकला 600 मीटर, स्कूल–दोंदेकला 600 मीटर एवं अस्पताल दोंदेकला 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 680 मीटर दूर है। नहर 1.12 कि.मी. एवं नाला 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,40,500 टन, माईनेबल रिजर्व 5,89,000 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,30,100 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,240 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,190 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.11 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	59,375
तृतीय	53,750
चतुर्थ	60,000
पंचम	58,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,240 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनित क्षेत्र हेतु रिस्टोरेशन प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3009/कोपा/उ.प./चूना.पत्थ./2022–23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 13.925 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–दोन्देकला) का रकबा 2.687 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–दोन्देकला) को मिलाकर कुल रकबा 16.612 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vii. Project proponent shall submit the Land owner consent letter for mining.

viii. Project proponent shall submit the NOC issued by the DFO with mentioning the distance of the nearest forest area from the lease boundary.

ix. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

x. Project proponent shall submit the consent letter of the land owner regarding the mining.

xi. Project proponent shall submit the permission from CGWA for usage of water.

xii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xiii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall complete plantation of previous environmental clearance conditions and submit details of plants (species, number etc.) along with Geotag photographs.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. **मेसर्स सन्नी स्टोन क्रशर (भैंसगांव लाईम स्टोन क्वारी, प्रो.–श्री सतबीर सिंह), ग्राम–भैंसगांव, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2455)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430373/2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भैंसगांव, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1065/1 एवं 1065/2, कुल क्षेत्रफल–2.02 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–36,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स अनंत बायो फ्युल एण्ड बायोटेक, प्लॉट नं. 33, ग्राम–बगौद, सी.एस.आई.डी.सी. मेगा फुडपार्क, इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2226)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 289051/ 2022, दिनांक 11/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 23/05/2023 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बगौद, सी.एस.आई.डी.सी. मेगा फुडपार्क, इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित भूमि प्लॉट नं. 33, कुल क्षेत्रफल – 0.5233 हेक्टेयर में ग्रेन बेस्ड फ्युल ईथेनॉल प्लांट यूनिट क्षमता – 8 किलोलीटर प्रतिदिन एवं बायो सी.एन.जी. (सी.बी.जी.) क्षमता – 10 टन प्रतिदिन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना में कुल विनियोग रुपये 1.18 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवीन अनंत, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 के अनुसार

i. "5(ga) Grain based distilleries producing ethanol, solely to be used for Ethanol Blended Petrol Programme of the Government of India Note: (i) Projects under category B shall be appraised as B2 category project and in terms of para 4(iiia) of this notification के "Note: (i) Project under category B shall be appraised as B2 category project and in terms of para 4(iiia) of this notification." का उल्लेख है।

ii. उक्त अधिसूचना के Para 4(iii a) Such Category 'B' projects, as notified by the Central Government on account of exigencies such as pandemics, natural disasters, or to promote environmentally friendly activities under National Programmes or Schemes or Missions, shall be considered at the Central level as Category 'B' projects." का उल्लेख है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में ऑनलाईन आवेदन किया जाना था। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स पेनारी क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गजरूप सिंह), ग्राम–पेनारी, तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2458)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429674/ 2023, दिनांक 24/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पेनारी, तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर स्थित खसरा क्रमांक 1067, कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,230.41 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामावतार सिंगरौल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1067, कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर, क्षमता–1,557 घनमीटर (4,048 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 13/खनिज/उ.यो.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	निरंक
2018–19	निरंक
2019–20	निरंक
2020–21	निरंक
2021–22	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर हेतु ग्राम पंचायत पेनारी का दिनांक 07/12/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉंग विथ क्वारी बलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्र. 813/खनिज/उ.या.अ./2023 कोरबा, दिनांक 24/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 15/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 15/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, अस्पताल, रेल लाईन एवं जलआपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री गजरूप सिंह के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/06/2011 से 03/06/2041 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री गजरूप सिंह, श्री कृष्ण पाल, श्री हिरौदिया एवं श्रीमती बुधन के नाम पर है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में भू–स्वमियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./207/बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/09/2010 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 500 मीटर दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पेनारी 2.5 कि.मी., एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ 31 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 650 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 62,205 टन एवं माईनेबल रिजर्व 11,739 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,970 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,347.8
द्वितीय	2,347.8
तृतीय	2,347.8
चर्तुथ	2,347.8
पंचम	2,347.8

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 102 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at,	

			Village- Penari	
			Pavitra Van Nirman	2.988
			Total	2.988

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, जामुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत पैनारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1080, क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् प्रस्तावित भूमि खसरा क्रमांक 1080 का भू–स्वामी संबंधी दस्तावेज (बी–1/पी–2) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन के संबंध में भू–स्वमियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के अन्तर्गत किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा क्रमांक 1080 का भू–स्वामी संबंधी दस्तावेज (बी–1/पी–2) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2460)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 430564/2023, दिनांक 24/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खदान ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद, कुल क्षेत्रफल 220.42 हेक्टेयर (100.76 हेक्टेयर वन भूमि एवं 119.66 हेक्टेयर राजस्व भूमि) में आयरन ओर उत्खनन क्षमता–2.795 से 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम), वेस्ट–9.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्रशर यूनिट (प्रत्येक की क्षमता 250 टी.पी.एच.) – 3, कुल उत्खनन क्षमता – 12.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग 80 करोड़ रुपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर स्वरूप, एक्जीक्युटिव डॉयरेक्टर (माईन्स), श्री हेमंत दोशी, जनरल मैनेजर (माईन्स) एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स मेकॉन लिमिटेड, विवेकानंद पाथ, पी.ओ. दौरान्दा, जिला–रांची, झारखंड की ओर से श्री शुभमय अदक उपस्थित हुए। । समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

i. The proposal of M/s Bhilai Steel Plant (BSP), a subsidiary of Steel Authority of India Ltd (SAIL), is for mining of Iron Ore with enhancement of production capacity from 2.0 MTPA to 3.5 MTPA (ROM) in the MLA of 220.42 ha. The mine is located at Iron Ore Complex (IOC) Dalli Rajhara, Tehsil Dondi District Balod, Chhattisgarh.

ii. TOR for the Proposal was accorded by to Ministry of Environment, Forest & Climate Change in its 33rd meeting and issued on 09.06.2015.

iii. Proposal for EC along with final EIA submitted to Ministry of Environment, Forest & Climate Change on 09.12.2017. EAC (Non-Coal Mining) held on 26th Feb 2018.

iv. EAC rejected the proposal with following comment in Minutes of Meeting and also in letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018. "The proposal was received online and accordingly it was considered by the Expert Appraisal Committee in its meeting held during February 26-27, 2018 wherein the PP informed the Committee that they had never taken EC neither under EIA Notification, 1994 nor EIA Notification, 2006 and mine is operating since 1958. In view of above, EAC mentioned that this is a case of violation as PP had not taken EC under the provisions of the EIA Notification 1994/2006 and the instant proposal may be rejected and appraised as per the provisions of the violation Notification issued by the MoEF&CC vide S.O. 804 (E) dated 14th March 2017. The Committee is also of the view that the Consultant is to be warned that they had to guide properly to the PP so that such case should not have come to this Committee with a letter be written to QCI-NABET for necessary action."

v. Against decision as taken in the minutes of the 28TH EAC Meeting held on 26TH-27TH February 2018 rejecting the proposal of SAIL for grant of EC, as informed vide letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018, SAIL being aggrieved, have filed Writ Petition (Civil) No. 1734 of 2018 before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh at Bilaspur praying, amongst others, to quash the letters dated 26.03.2018 and to issue appropriate directions to the department to consider our proposal of EC for enhancement of production capacity for iron ore complex-Pandridalli and Rajhara Pahar Iron Ore Mines in the District of Balod, Chhattisgarh.

vi. In view of the approaching deadline of the validity of lease till 27.04.2023, on 16.12.2022, SAIL made an IA in the pending Writ Petition 1734/2018 before Hon'ble Chhattisgarh High Court, to consider the proposal for grant of EC for the purpose of getting the extension of mining lease period of Pandridalli and Rajhara Pahar Mines Lease beyond 27.04.2023 and to maintain continuity of mining operations.

vii. On order dated 20.12.2022 Hon'ble Chhattisgarh High Court, directed the Chhattisgarh State Government to ensure that the application put forth by the BSP/SAIL for renewal of their lease deed which is coming to an end on 27.04.2023 be processed in accordance with law without insisting for the environmental clearance certificate.

viii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 393/खनि.लि./एम.एल./2022 बालोद, दिनांक 24/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)	वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)
1993–94	27,94,788	2008–09	11,24,190
1994–95	26,68,163	2009–10	15,76,000
1995–96	25,39,338	2010–11	15,38,050
1996–97	22,02,029	2011–12	16,56,030
1997–98	14,36,362	2012–13	13,53,160
1998–99	10,65,000	2013–14	10,27,008
1999–2000	8,92,750	2014–15	17,59,036
2000–01	8,87,100	2015–16	19,67,283
2001–02	8,61,650	2016–17	15,40,031
2002–03	9,33,850	2017–18	17,17,183
2003–04	15,47,650	2018–19	14,59,170
2004–05	13,36,900	2019–20	12,48,921
2005–06	10,67,900	2020–21	13,25,774
2006–07	10,04,650	2021–22	14,00,158
2007–08	11,27,650		

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–4.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष, हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 19/03/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक RPR/BALOD/IRON ORE/1374/RMP/2022-23 दिनांक 31/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **लीज संबंधी विवरण –**

- पूर्व में मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील प्राईवेट लिमिटेड (भिलाई स्टील प्रोजेक्ट), भिलाई के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 22/04/1960 द्वारा

30 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1958 से दिनांक 31/05/1988 की अवधि के लिए ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़ के कुल रकबा 720 एकड़ (291.498 हेक्टेयर) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनि पट्टा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के पक्ष में 241.76 हेक्टेयर (आवेदित क्षेत्र में से 120 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन विभाग द्वारा सिर्फ 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिपट्टा नवीनीकरण की अनुमति दी गई है।) मध्यप्रदेश शासन के आदेश कमांक 3–119/88/12/3/1/5 भोपाल, दिनांक 05/08/1993 द्वारा 10 वर्ष हेतु खनिपट्टा का प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी अवधि दिनांक 01/06/1988 से 31/05/1998 तक थी। द्वितीय नवीनीकरण मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 04/03/1999 द्वारा 5 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1998 से दिनांक 27/04/2003 की अवधि के लिए विस्तारित की गई थी। तृतीय नवीनीकरण छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 03/01/2005 एवं दिनांक 15/04/2005 द्वारा 20 वर्षों अर्थात दिनांक 28/04/2003 से दिनांक 27/04/2023 की अवधि के लिए कुल रकबा 241.76 हेक्टेयर में से 220.42 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तारित की गई।

- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–21/2022/12 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु खनिपट्टा विस्तारित किया गया है।

5. **फॉरेस्ट क्लायरेंस संबंधी विवरण** – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और उपर्युक्त सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार 121.76 हेक्टेयर के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग में लौह अयस्क के खनन के लिए भिलाई स्टील प्लांट को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर वन भूमि का आवंटन"** होना बताया गया है। वन विभाग की अनापत्ति 10 वर्षों अर्थात दिनांक 28/04/1993 से दिनांक 27/04/2003 तक जारी की गई थी तत्पश्चात् वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रथम नवीनीकरण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र 06/04/2004 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गहन विचारोपरान्त एवं उपरोक्त सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। केंद्र सरकार इसके द्वारा भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में पंडरी दल्ली राजहरा हिल्स खदानों के लिए पहले से ही टूटी हुई 100.76 हेक्टेयर वन भूमि पर खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन"** दिनांक 28/04/1993 से 27/04/2023 तक जारी की गई थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 01/04/2015 के अनुसार **"खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 8(अ) के उपनियम 1**

में निर्दिष्ट खनिजों के लिए व्यपवर्तित वन भूमि की अवधि के विस्तार की वैधता खनिपट्टे की लीज अवधि के साथ–सियादी (coterminous) होगी।" समिति का मत है कि विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम जमरूवा 700 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन दल्ली राजहरा 1.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.24 कि.मी. दूर है। कुसुम नाला 500 मीटर, तांदुला नदी 2.5 कि.मी., राजहरा बांध 1.6 कि.मी., बोरीडीह बांध 6.7 कि.मी. एवं जमरूवा टैंक 300 मीटर दूर है।
7. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पिचाकेट्टा, राजोबिडीह, उनोचापानी, मगर्धा जबकसा, नाघुर एवं संरक्षित वन दल्ली, लिंगोडीह, मारडेल, रनवाही है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 35.57 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 20.17 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 16.14 हेक्टेयर है। ओपन पिट माईनिंग विथ सॉवेल एण्ड डम्पर/टिपर कॉम्बिनेशन फुल्ली मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। पहाड़ी सतह से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई राजहरा क्षेत्र में लगभग 152 मीटर एवं पश्चिम कोकन में लगभग 41 मीटर है। बेंच की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। डिप होल लार्ज डाया ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

Year	ROM Production (Tonnes)	Waste (OB) in Tonne
2023-24	21,40,000	51,44,018
2024-25	21,40,000	51,47,364
2025-26	21,40,000	52,89,231
2026-27	21,70,000	54,15,508
2027-28	35,00,000	91,00,000

10. **वेस्ट डम्प प्रबंधन योजना** :–

Dump Area	Present			Conceptual		
	Quantity	Height in meter	Area in Ha.	Quantity	Height in meter	Area in Ha.
Chikali	26.0 MT	82	38.85	77.0 MT	105	46.66
Kokan West	1.57 MT	18	3.80	-	-	3.80

11. **जल आपूर्ति** – वर्तमान में परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1,166 घनमीटर प्रतिदिन है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु आवश्यक जल की कुल मात्रा 3,241 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थिति तक कुल 31.05 हेक्टेयर में लगभग 50,325 नग पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें से लगभग 40,347 नग पौधें जीवित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2023–24 में 5 हेक्टेयर में लगभग 12,500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है।
14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**
    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	16	39	60
PM_{10}	37	86	100
SO_2	8.2	22.6	80
NO_2	10.3	28.3	80

    iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।
    iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	43.4	78.9	75
Night L_{eq}	32.5	67.4	70

    जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। परिवेशीय ध्वनि स्तर का मान क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से अधिक 78.9 डीबी(ए) है। समिति का मत है कि उक्त स्टेशन के समीप ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
    v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
    vi. मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में उल्लेखित "(iii) The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC. (iv.) At the time of application for EC, in case baseline data is older than three years, but less than five years old in the case of River valley and HEP Projects, or less than four years old in the case of other projects, the same shall be considered, subject to the condition that it is revalidated with one season fresh non-monsoon data collected after three years of the initial baseline data." के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

vii. पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित करने का कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया था। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार वर्तमान में, पूर्व एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता मई, 2018 तक की है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

15. समिति का मत है कि परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 27/10/2017 प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत हाथकरघा, वस्त्र बुनाई कार्यशाला के सामने, ग्राम–साल्हे, विकासखण्ड–डौण्डी, जिला–बालोद में संपन्न हुई।

17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. द्वारा दिनांक 17/04/2020 को निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"Be that as it may, the fact remains that the petitioner has now moved the application for grant of environmental clearance certificate which is under consideration before the respondent No. 2. Foreseeing the fact the present mining lease that the petitioner has, expires on 27.04.2023 and also taking note of the fact that the respondents do not dispute or take a stand that the petitioner is not entitled for grant of environmental clearance certificate, ends of justice would meet, if the Writ Petition as of now is kept pending with a direction to the respondent No. 2 to ensure that the application for grant of environmental clearance is considered on priority basis taking into consideration the short period of time left for the mining lease period of the petitioner.

Accordingly, the respondent No. 2 is expected to take a decision before the expiry of period of mining lease i.e. on 27.04.2023. The decision

of the respondent no. 2 would enable the petitioner to purse their application for renewal of the mining lease.

The Respondent No. 2 would also consider the far reaching ramifications as a consequence of the environmental clearance not being granted. The Respondent No. 2 would also consider the fact that the petitioner is a "Maharatna" Company. Subject ofcourse the petitioner meeting all the other requirements under the Rules for obtaining the E.C. certificate, except the fact of the petitioner not having E.C. certificate for the past years, the effect of which would be subject to the outcome of the present writ Petition.

20. डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही किये जाने का अभिमत है:–

i. वित्तीय वर्ष 1993–94 से वित्तीय वर्ष 2005–06 तक तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 से अद्यतन स्थिति तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी की आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) के अनुसार वार्षिक टर्नओवर की जानकारी प्रस्तुत किया जाए। (IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL ORIGINAL JURISDICTION WRIT PETITION (CIVIL) NO. 114 OF 2014 ds Page 96 of 114)

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

iii. सी.ई.आर. की गणना हेतु परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।

iv. जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

v. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

vi. भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

vii. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

viii. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुददों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

ix. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

x. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किया जाए।

xi. Ground Vibrational Study Report की प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही Frequency of Blasting की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

xii. इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

xiii. क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xiv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार The baseline data and Public Hearing की अवधि की वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xv. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि के लिए शर्तों के अधीन खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् विस्तारित उत्पादन क्षमता एवं विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 27/04/2043 तक के लिए वन भूमि के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाए।

xvi. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाए।

xvii. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

21. **समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:–**

i. **श्री डी. राहुल वेंकट**, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक v, x, xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है तथा अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

ii. **श्री एन.के. चन्द्राकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत में से बिन्दु क्रमांक i के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संदर्भ में यह जानकारी मंगाया जाना आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक v के परिपेक्ष्य में लीज क्षेत्र के चारों ओर 75 मीटर के पट्टी में वृक्षारोपण हो चुका है। जिसका उल्लेख माईन प्लान में किया जा चुका है।

बिन्दु क्रमांक vi के परिपेक्ष्य में लौह अयस्क परिवहन खनन पट्टे के ही अंदर खनन पश्चात् लीज क्षेत्र के अंदर से ही रेलवे रैक द्वारा डिस्पैच किया जाता है। अतः इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बिन्दु क्रमांक vii के परिपेक्ष्य में जी. एल. सी. की गणना ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित है, जो निर्धारित मापदण्ड के भीतर है।

बिन्दु क्रमांक x के परिपेक्ष्य में पलोरा एवं फौना का अध्ययन वन्य प्राणी संरक्षण योजना यदि प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों में समाहित करते हुए 6 माह या 1 वर्ष समय दिया जाकर सस्कृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 1734/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2023 के तारतम्य में दिए गये आवेदन से संबंधित है। जिसमें समिति को इस प्रकरण न भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है। अतः इस प्रकरण में जिसमें लोक सुनवाई हो चुकी है। अतः अब समिति को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा 7 के अनुसार मूल्यांकन करना है। पुनः लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा कराने के बिंदु को समाहित करने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा।

ऑफिस मेमोरेडम दिनांक 08/06/2022 में स्पष्ट है कि बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि, पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि वर्ष 2017 है एवं लोक सुनवाई तिथि वर्ष 2017 है। वर्तमान में किया गया आवेदन केवल एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के ऑफलाईन से ऑनलाईन प्रक्रिया में जाने से हुई तकनीकी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अतः इस प्रकरण में जिस समय (अतः वर्ष 2017) पर्यावरण स्वीकृति के लिए ऑफलाईन आवेदन किया गया उस समय बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं थी। साथ ही यह प्रकरण, जैसा कि पूर्व में इंगित है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के निर्देश से संबंधित है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्याकन करना है, जिसमें लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा पूर्ण की जा चुकी है।

बिन्दु क्रमांक xv के परिपेक्ष्य में विस्तारित खनि पट्टा अवधि तक के लिए फारेस्ट क्लियरेंश प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक xvi के परिपेक्ष्य में वन्य प्राणी संरक्षण योजना को पी.सी.सी.एफ. से अनुमोदन करवाकर प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

iii. **डॉ. मनोज कुमार चौपकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के प्रथम वर्ष में अतिरिक्त ई.आई.ए. स्टडी

कराया जाए। इससे सतत् पर्यावरणीय अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित होगी।

उपरोक्त तथ्यों को समाहित करते हुये बिन्दु क्रमांक xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी., छ.ग. एवं सदस्यों, एस.ई.ए.सी., छ.ग. के अभिमत में भिन्नता होने के कारण बहुमत के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. बिन्दु क्रमांक 20 के (i) से (xvii) तक की चाही गई जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के समक्ष चर्चा हेतु प्रेषित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स इस्पात इंडिया (यूनिट-3), प्लाट नं.-98, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-2, सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2457)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 430629/ 2023, दिनांक 24/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-2, सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लाट नं.-98, कुल क्षेत्रफल-3.36 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स (रि-हिटिंग फर्नेस विथ कोल बेस्ड गैसीफायर) क्षमता-30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,400 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 50 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साहिल सिंगला, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स (रि-हिटिंग फर्नेस विथ कोल बेस्ड गैसीफायर) क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, एच.बी.वायर क्षमता – 55,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, स्क्रैप पैकेजिंग क्षमता – 40,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, जी.आई. वायर क्षमता – 50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, ट्यूब ऑर पाईप फिटिंग क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, जी.आई. पाईप क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. पाईप क्षमता – 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 03/12/2020 को जारी की गई, जो कि उत्पादन प्रारंभ माह के प्रथम दिन से 12 माह की अवधि तक वैध है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा एच.बी.वायर क्षमता – 55,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, चूंकि एच.बी.वायर कोल्ड रोलिंग श्रेणी के अंतर्गत आता है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (रि–हिटिंग फर्नेस विथ कोल बेस्ड गैसीफायर) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,400 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु ही आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि एच.बी.वायर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्ट जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही एच.बी.वायर के उत्पादन हेतु प्रक्रिया (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) एवं कच्चे माल कहां से लिया जाएगा, इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला–रायपुर (म.प्र.) के ज्ञापन क्रमांक आर.एल. 9/96–4319/न.ग्रा.नि./96 रायपुर, दिनांक 30/07/1996 द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु अभिन्यास अनुमोदित किया गया है।

3. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 26/06/2019 के द्वारा मेसर्स इस्पात इंडिया (यूनिट–3) को जारी किया गया है। डीड अनुसार ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, प्लॉट नंबर 98, क्षेत्रफल 3.36 हेक्टेयर भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आबंटन किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 26/06/2019 से दिनांक 25/06/2118 तक है।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम आबादी ग्राम–बिरगांव 12 कि.मी. एवं शहर रायपुर 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 21.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 850 मीटर एवं खारून नदी 5 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (In SQM)	Percentage (%)
1.	Pipe Store Yard Shed	10,800	32.14
2.	Strip Rolling Mill Shed	6,240	18.57
3.	Sub-Station	167	0.49
4.	Admn Building	60	0.19
5.	Weight Bridge	51	0.16

6.	Labour Rest Room Shed	339	1.00
7.	Ambulance & Health Center	132	0.39
8.	Pollution Equipment	56	0.18
9.	Mill Water Tank	175	0.53
10.	Pipe Mill Transformer Area	69	0.20
11.	Rain Water Harvesting (R.W.H.)	78	0.23
12.	Toilet Block	49	0.14
13.	S.T.P.	43	0.13
14.	Fine Particles Sampler (FPS)	28	0.08
15.	Green area	13,440	40
16.	Open area	1,873	5.57
Total		**33,600**	**100**

6. रॉ–मटेरियल :–

S.No	Raw Material	Quantity (MTPA)	Source	Mode of Transport
1.	MS Billet / MS Strip	59,800	Local Market	By Road

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization & Expansion of Existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products (Re Heaing Furnace With Coal Based Gasifier) : 59,400 MTPA from 30,000 MTPA H.B. Wire : 55,000 MTPA Scrap Packaging : 40,000 MTPA G.I. Wire : 50,000 MTPA Tube Or Pipe Fittings 30,000 MTPA G.I. Pipe : 30,000 MTPA M.S. Pipe : 60,000 MTPA

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का बैग फिल्टर लगाया गया है एवं 35 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना बताया गया है। फयुजिटीव डस्ट उत्सार्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल– 400 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 30 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु उपयोग हेतु 10 घनमीटर

प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाएगी। परियोजना के लिए 50 घनमीटर प्रतिदिन जल की उपयोगिता हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड एवं मेसर्स इस्पात इंडिया (यूनिट–3) के मध्य दिनांक 23/07/2019 को हुए अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 10.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. के 2 नग डी.जी. सेट ऊंचाई (5 मीटर) की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.344 हेक्टेयर (40%) क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव (पौधों के संख्या सहित) एवं वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 अक्टूबर 2023 से 15 दिसम्बर 2023 तक किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा एच.बी.वायर क्षमता – 55,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, चूंकि एच.बी.वायर कोल्ड रोलिंग श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः एच.बी.वायर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

2. एच.बी.वायर के उत्पादन हेतु प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. एच.बी.वायर के उत्पादन हेतु कच्चे माल कहां से लिया जाएगा? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (रि–हिटिंग फर्नेस विथ कोल बेस्ड गैसीफायर) क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के उत्पादन उपरांत कहां–कहां उपयोग / विक्रय किया जाता है? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1925)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी3 / 71891 / 2022, दिनांक 03 / 02 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी3 / 295214 / 2022, दिनांक 13 / 12 / 2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी3 / 402589 / 2022, दिनांक 29 / 10 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित प्लॉट नं. – 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल – 5.286 एकड़ में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) / ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) क्षमता–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 20.5 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17 / 08 / 2022 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 735, दिनांक 22 / 06 / 2023 एवं क्रमांक 867, दिनांक 06 / 07 / 2023 द्वारा पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17 / 08 / 2022 से जारी टी.ओ.आर. में "टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) **के स्थान पर** टी.ओ.आर. (बिना लोक सुनवाई)" एवं "क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर **के स्थान पर** 5.286 एकड़" हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 07 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19 / 07 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवम सुहाने, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रुप में मेसर्स सन् इन्फ्रायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की ओर से श्री मौलिक सुतार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से माईक्रोन्यूट्रिएंट प्रोडक्ट फॉर एग्रीकल्चर क्राप्स – 15,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, बारबेड वायर – 3,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं मिक्सड फर्टिलाईजर – 5,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/04/2022 तक वैध थी। समिति का मत है कि आगामी अवधि हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   - समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 25/10/2010 के द्वारा मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड को जारी किया गया है। डीड अनुसार बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–महासमुंद, क्षेत्रफल 5.28 एकड़ भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आबंटन किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 25/10/2010 से दिनांक 24/10/2109 तक है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम–बिरकोनी 360 मीटर एवं स्कूल ग्राम–बिरकोनी 380 मीटर दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बेलसोण्डा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 300 मीटर दूर है। कंटोरी नदी 2.08 कि.मी., महानदी 2.85 कि.मी., खुरार नदी 3.66 कि.मी. दूर है।

   - तुमगांव आरक्षित वन 6.88 कि.मी. एवं सोरिद संरक्षित वन 8.67 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1564/नयानि/135/2005 रायपुर, दिनांक 18/02/2005 द्वारा कार्यालय संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन को ग्राम–बिरकोनी में औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास के संबंध में पत्र जारी किया गया।

5. छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन के ज्ञापन क्रमांक सीएसआईडीसी/एएलटी/09/8558, दिनांक 08/12/2009 द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने हेतु लेण्ड एलॉटमेंट ऑर्डर जारी किया गया।

6. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Description	Area (in SQM)	Percentage (%)
1.	Main Plant Building	4,944	23.11
2.	Parking, Other area, Open & Road Area	5,717.9	26.73
3.	Green Area	10,730.3	50.16
Total		**21,392.2**	**100**

7. रॉ–मटेरियल –

S.No.	Name of Raw Materials		Quantity (MTPA)
Existing Products for Micronutrients			
1.	Acetic Acid		220
2.	Caustic Soda		170
3.	Ethylene Additive		25
4.	Hydrochloric Acid		2,200
5.	Soda Ash		2,500
6.	Zinc Dross		225
7.	Amorphous Silica Powder		4,500
8.	Sulphuric Acid		450
Proposed Products for SSP / TSP			
1.	SSP Unit	Rock Phosphate / Bone Ash	590
2.		Sulphuric Acid (con 98%)	411
3.	TSP Unit	Rock Phosphate / Bone Ash	590
4.		Phosphoric Acid (con 98%)	411

8. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S.No.	Products	Quantity (MTPA)
Existing Products		
1.	Micronutrient Product (Zinc Sulphate, Mixture of Micronutrients etc.)	15,000
2.	Barbed Wire	3,000
3.	Mixed Fertilizer	5,000
Proposed Products		
1.	Single Super Phasphate (SSP) / Triple Super Phasphate (TSP)	1,00,000

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि रॉक फॉस्फेट को ग्राईनडिंग यूनिट में क्रशिंग उपरांत साईक्लोन में ले जाया जाकर ग्राउण्ड रॉक को फिडर में भेजा जाएगा। क्रशिंग उपरांत साईक्लोन में ले जाया जाकर ग्राउण्ड रॉक को फिडर में भेजा जाएगा। फिडर उपरांत रॉक फॉस्फेट को स्क्रीव कन्व्हेयर, एलीवेटर के माध्यम से पैडल मिक्सर में भेजा जाएगा। रॉक फॉस्फेट (30% P_2O_5 content), 98% concentrated H_2SO_4, स्पेंट एसिड (72%) एवं पानी के साथ रियेक्टर (Reactor) में रियेक्शन (Reaction) कराया जाकर क्यूरिंग (Curing) एवं ग्रैन्यूलेटर (Granulator) के माध्यम से सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाया जाएगा। सलफ्यूरिक एसिड से रियेक्शन (Reaction) के दौरान जनित होने वाले गैसेस के नियंत्रण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने का उल्लेख है:–

20 to 30% of fluorine from rock phosphate is generated in gas form during the reaction between **Sulphuric Acid** and **Rock Phospate**. HF and SiF_4 are soluble in water, thus it gets absorb in water easily. The SiF_4 easily get

scrubbed in the presence of water. The emissions are recovered as H_2SiF_6 in the scrubbing system.

The SiF_4 reacts with water to form Hydro-fluosilicic acid and silica. Silica racts with HF to produce additional SiF_4, which reacts with water. Involving following reactions:

$$\underset{312}{3SiF_4} + \underset{72}{4H_2O} = \underset{288}{2H_2SiF_6} + \underset{96}{SiO_2 2H_2O}$$

$$\underset{80}{4HF} + \underset{60}{SiO_2} = \underset{104}{SiF_4} + \underset{36}{2H_2O}$$

The fluorosilic acid is strong and poisonous acid, which decomposes under high temperature. This flourosilicic acid is to be used in the acidulation process, replacing some of the sulphuric acid. Thus, the fluorine is recycled back into the fertilizer product to form fluorspar, reaction is given below:

$$\underset{288}{2H_2SiF_6} + \underset{310}{Ca_3(PO_4)_2} \underset{72}{4H_2O} = \underset{436}{2CaSiF_6 2H_2O} + \underset{234}{Ca(H_2PO_4)_2}$$

This leads to the saving of sulphuric acid to the tune of 20 kg per ton of superphosphate produced. Silica is separated in first phase of scrubbing.

ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनाये जाने हेतु रॉक फॉस्फेट (30% P_2O_5 content) के स्थान पर रॉक फॉस्फेट (30% P_2O_5 content) एवं 98% concentrated H_2SO_4 के स्थान पर 54% concentrated H_3PO_4 को उपयोग किया जाएगा।

10. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु बॉयलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साईक्लोन एवं डस्ट कलेक्शन के साथ बैग फिल्टर की स्थापना एवं चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एसएसपी / टीएसपी स्क्रबर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेंचुरी स्क्रबर, साईक्लोन सपरेटर एवं फोर स्टेज स्क्रबिंग सिस्टम तथा चिमनी की ऊंचाई 40 मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

11. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Sr.No.	Name of Hazardous / Solid Waste	Cat. As per Haz. Rules-2016	Quantity (After Expansion)	Disposal Method
1.	Used/Spent Oil	5.1	0.4 KL/Year	Collection, Storage & Use within premises as lubricant / sell to registered recycler.
2.	Discarded Containers /Barrels	33.1	Whatsoever generated	Collection, Storage & reuse for packing of products or disposal by selling to approved recycler.
3.	Silica	-	6.72 MTPD	Used as filler for SSP
4.	Coal Ash from Boiler	-	-	Shall be sent to Brick Manufacturer

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

12. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना के नियमित संचालन हेतु फ्रेश वॉटर कुल 30 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 52 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होगी, जिसमें से औद्योगिक उपयोग हेतु 34 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन उपयोग किया जाएगा। सलफ्यूरिक एसिड एवं फॉसफोरिक एसिड को एम.एस. टैंक में रखा जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल की मात्रा 14 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगी। औद्योगिक दूषित जल हेतु वर्तमान में स्थापित ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) से उपचार किया जाना प्रस्तावित है। उपचार उपरांत जल का उपयोग पुनः प्रक्रिया में किया जाएगा। प्रक्रिया से जनित सिलिका लिक्वर (Silica liquor) को सिलिका लिक्वर पिट में रखने उपरांत ड्राई सिलिका को फिलर एवं H_2SiF_6 को पुनः एसिड डाल्यूशन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उपचारित जल का उपयोग वृक्षारोपण में किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 400 किलोवॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 500 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.073 हेक्टेयर (50.16 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,765 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2021 से फरवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग कार्य के सत्यापन हेतु फोटोग्राफ्स अक्षांश एवं देशांश सहित प्रस्तुत किया गया है।

iii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25	29	60
PM_{10}	56	66	100
SO_2	8.9	10.9	80
NO_x	13.4	21.4	80

iv. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

v. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	49.8	59.8	75
Night L_{eq}	40.4	50.1	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना:–**

S.No.	Parameters	Baseline at project site (µg/m^3)	Predicted GLC (µg/m^3)	Total GLC (µg/m^3)
1	PM_{10}	66	6.4	72.4
2	$PM_{2.5}$	29	20.9	49.9
3	SO_2	10.92	1.4	12.32
4	NO_x	21.37	1.6	22.97

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
2,050	1%	20.5	Following activities at, Village- Birkoni	
			Pavitra Van Nirman	27.275
			Total	**27.275**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, करंज, नीम, आम, जामून, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 62,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 75,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 3,20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 7,57,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 19,70,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बिरकोनी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 2435, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई. आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् प्रस्तावित भूमि (खसरा क्रमांक 2435) का भू–स्वामी संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. उद्योग का ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. उद्योग परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण के तहत् 1,765 नग पौधों के वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् प्रस्तावित भूमि (खसरा क्रमांक 2435) का भू–स्वामी संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081बी)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 27/12/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 19/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर ज्ञानचंदानी, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्रीमती पूनम मंगलम एवं श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर टी.ओ.आर. जारी किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1896/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2020 द्वारा उत्खनिपट्टा के अंतरण अनुबंध बाबत् पत्र जारी किया गया है।

   साथ ही संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3602/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा माडिफाईड क्वारी प्लान (क्वॉरी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) को भी **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी)** के नाम पर जारी किया गया है। अतः परियोजना

प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु समिति के समक्ष अनुरोध किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर, क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2007	–	2014	1,525
2008	555	2015	10,177
2009	516	2016	20,246
2010	276	2017	6,324
2011	3,715	2018	19,895
2012	662	2019	12,249
2013	1,702		

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 07/09/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, विथ क्वॉरी क्लोजर प्लान एण्ड इन्फायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/तीन–6/ख.लि./2016/534 रायपुर, दिनांक 01/03/2016 द्वारा (मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर) अनुमोदित है। तत्पश्चात् माडिफाईड क्वारी प्लान (क्वॉरी कम

इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3602/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा (मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर) अनुमोदित है।

6. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.818 हेक्टेयर है।

7. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे एवं अन्य कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

8. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज श्री प्र"ांत बोहरा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 31/07/2020 को श्री शंकरलाल ज्ञानचंदानी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/12/2007 से 14/12/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का नवीनीकरण 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/12/2012 से 14/12/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 15/12/2017 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि/4230 खैरागढ़, दिनांक 13/09/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 550 मीटर एवं अस्पताल बल्देवपुर 1.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तालाब 2.2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 9,71,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,23,137 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,20,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,769 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,000 घनमीटर है, इस ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर

उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,500	षष्टम	12,500
द्वितीय	12,500	सप्तम	12,500
तृतीय	12,500	अष्ठम	12,500
चर्तुथ	12,500	नवम	12,500
पंचम	12,500	दशम	12,500

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,17,400 रूपये, खाद के लिए राशि 7,140 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,13,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,56,740 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,88,560 रूपये आगामी चार वर्षो हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,769 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 243 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 247. 5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिण दिशा में 645 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफटी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	26.10	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	9.03	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.01 to 0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. खदान में ब्लास्टिंग से पत्थर दूर खेतों में जाकर गिरते है एवं मकानों में दरार आ चुका है। हैवी ब्लास्टिंग होने से पास के स्कूल में सूचना देने के लिए मुंशी आते है एवं नजदीक स्थित क्रशर को बंद किया जाना चाहिए।

ii. खदान अत्यधिक गहरा हो चुका है। गर्मी के दिनों में 5–7 जानवर गिर चुके है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर फेन्सिंग किया जाना चाहिए।

iii. गांव कलकसा से बलदेवपुर जाने वाली सड़क बहुत जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों को स्कूल आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुभवी कॉन्ट्रेक्टर की निगरानी में कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा।

ii. खदान के चारों ओर कंटीले तारों से फेंसिंग किया जाएगा, जिससे गांव के मवेशी खदान के अंदर नहीं जा पायेंगे।

iii. खदान से निकलने वाले वाहनों के कारण जो सड़क में गड्ढे हो गये है, उसकी समय–समय में मरम्मत की जाएगी।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	फेंसिंग हेतु राशि	34,76,700	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		41,20,112	3,46,752	3,46,752	3,46,752	3,46,752

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
300 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (200 नग) वृक्षारोपण	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	फेंसिंग हेतु राशि	2,96,000	–	–	–	–

हेतु	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		**5,02,700**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्धानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van	10.78
			Total	**10.78**

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 980 नग पौधों के लिए राशि 19,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,500 रूपये, खाद के लिए राशि 7,350 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,41,680 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,36,130 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,89,112 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 1.22 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 10 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। वर्तमान में पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मॉडिफाईड माईनिंग प्लान में 30 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्षमता – 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख होना पाया गया है। उक्त कारणों से रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

28. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन के विवरण की जानकारी में वर्षवार उत्खनन का इकाई घनमीटर में है, जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति में क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति तक उत्खनित खनिज की मात्रा खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान दिनांक 05/07/2021 अनुसार चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाएगा।
2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 द्वारा उत्पादन आंकड़ों की जानकारी में टन के स्थान पर घनमीटर का उल्लेख हो गया था। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1340/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2007–08	30	2015–16	14,279
2008–09	841	2016–17	14,489
2009–10	288	2017–18	6,324
2010–11	2,768	2018–19	19,895
2011–12	1,387	2019–20	10,599
2012–13	1,435	2020–21	3,200
2013–14	1,720	2021–22	6,230
2014–15	2,020		

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State

Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो को करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अवैध उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उत्खनन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति तथा रॉयल्टी जमा

करके ही खनन कार्य किया गया है तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना नहीं की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तात्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि की वास्तविक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(द) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.171 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में

स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 के परिपेक्ष्य में चाही गई वांछित जानकारियों/ दस्तावेजों/ अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) को ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर, क्षमता–12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 के परिपेक्ष्य में चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ

Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में समाधानाकारक कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(इ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 23/01/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया गया है। जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार:-

A. Proposals involving expansion of existing EC

i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के ज्ञापन क्रमांक/90/ख.लि.02/2023, दिनांक 06/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
जुलाई 2020	निरंक
अगस्त 2020	निरंक
सितम्बर 2020	निरंक
अक्टूबर 2020	निरंक
नवम्बर 2020	निरंक
दिसम्बर 2020	800
जनवरी 2021	700
फरवरी 2021	900
मार्च 2021	800
अप्रैल 2021	निरंक
मई 2021	310
जून 2021	380
जुलाई 2021	280
अगस्त 2021	520
सितम्बर 2021	470
अक्टूबर 2021	570

नवम्बर 2021	480
दिसम्बर 2021	880
जनवरी 2022	640
फरवरी 2022	1,040
मार्च 2022	660
कुल	9,430

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 9,430) /25,000 = 94 days

Environment Compensation = 80x94x100x0.5x0.5 = Rs. 1,88,000/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि रुपये 1,89,000 की Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

III. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulators such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,89,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। ताकि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव के खाता में जमा कराया जा सके।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों के लिए अर्थदण्ड की गणना हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:–

Penalty provisions for violation cases and applications:

Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्थदण्ड हेतु गणना कर निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:–

I. आवेदित खदान का कुल लागत 50 लाख रूपये है, उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार कुल लागत का 1 प्रतिशत 50,000 रूपये होता है।

II. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) के अनुसार 10 करोड़ रूपये से अधिक टर्नओवर के व्यवसाय को ऑडिट कराया जाना आवश्यक है। आवेदित खदान का कुल टर्नओवर 25 लाख रूपये है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) की ऑडिट सीमा से कम है। अतः ऑडिट कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन अवधि के दौरान 9,430 टन उत्खनन किया गया है, प्रति टन में 140 रूपये का टर्नओवर होना बताया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,430 x 140 x 0.25% = 3,300.5 रूपये की गणना प्रस्तुत की गई है।

III. इस प्रकार कुल अर्थदण्ड राशि रूपये 53,300.5/– की गणना कर प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उक्त अर्थदण्ड राशि को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है।

5. वृक्षारोपण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वर्तमान में खदान बंद है तथा इस आशय का वचन दिया गया है कि खदान प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई शर्तें यथावत् रहेगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी पत्र लेख किया जाए।

3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,89,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरांत माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार मुख्य सचिव के खाता में जमा कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

4. अर्थदण्ड राशि रूपये 53,300.5/– को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42860/ 2019, दिनांक 18/10/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42860/ 2019, दिनांक 09/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक – 106/2 एवं 3, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनिंदर सिंह गरचा, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का

प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 106/2 एवं 106/3, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1341/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
अगस्त 2009 से दिसंबर 2009	551	जनवरी 2017 से दिसंबर 2017	570
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010	2,057	जनवरी 2018 से दिसंबर 2018	649
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011	2,130	जनवरी 2019 से दिसंबर 2019	1,339
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012	1,850	जनवरी 2020 से जून 2020	7,700
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013	6,050	जुलाई 2020 से दिसंबर 2020	निल
जनवरी 2014 से अगस्त 2014	17,600	जनवरी 2021 से जून 2021	625
सितंबर 2014 से सितंबर 2016	निरंक	जुलाई 2021 से दिसंबर 2021	निरंक
अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016	150	जनवरी 2022 से मार्च 2022	3,900

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी

पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो 10 वर्ष हेतु जारी की गई थी। अतः समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना अथवा स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो कि संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 843/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1342/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.318 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवष्यक है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री मनिंदर सिंह गरचा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्रं. 10–2/2019/13198 राजनांदगांव, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम चवेली का उल्लेख है। अतः ग्राम खुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेलकाडीह 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–ठेलकाडीह 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल ठेलकाडीह 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,64,800 टन, माईनेबल रिजर्व 1,18,822 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 81,583 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,540 घनमीटर है, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,500	षष्टम	8,500
द्वितीय	8,500	सप्तम	8,500
तृतीय	8,500	अष्टम	8,500
चतुर्थ	8,500	नवम	8,500
पंचम	8,500	दशम	8,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 328 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (328 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	24,928	2,508	2,508	2,508	2,508
	फेंसिंग हेतु राशि	41,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	2,460	240	240	240	240
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 11,69,380		3,14,388	2,18,748	2,18,748	2,18,748	2,18,748

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिषा में 130 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक, पश्चिमी दिषा में 630 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिषा में 130.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिषा में 472.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संषोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आव"यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आव"यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परिवेषीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विष्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	21.39	40.45	60
PM_{10}	42.65	65.33	100
SO_2	5.09	9.87	80
NO_2	9.48	15.95	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	43.2	61.1	75
Night L_{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम – बुमरडीहकला, तहसील व जिला – राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में मवेशियों के लिये चारा नहीं बचता है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग के समय घबेली में चलना दुभर होता है, ब्लास्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जरूरत की सुविधाऐं प्रदान नहीं की जाती है। क्रशर सड़क से लगा हुआ है, उसके चलने के कारण कई एक्सीडेंट हो चुके है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

iv. गांव के पास शासकीय भूमि का अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है; वृक्षारोपण तथा जल छिड़काव का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी नहीं होगी।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

iv. माईनिंग प्लान के अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खदान के बाउण्ड्री तथा हॉल रोड में वृक्षारोपण का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। वृक्षारोपण एवं धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
4.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (3,133 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,38,108	23,788	23,788	23,788	23,788
	फेंसिंग हेतु राशि	25,06,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	16,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000
कुल राशि = 88,78,660		44,51,508	11,06,788	11,06,788	11,06,788	11,06,788

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
123 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (82 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	6,232	608	608	608	608
	फेंसिंग हेतु राशि	65,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	32,745	27,745	27,745	27,745	27,745
कुल राशि = 2,18,829		1,05,177	28,413	28,413	28,413	28,413

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः 17 खदानें ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से सी.ई.आर. के अंतर्गत (1) गांव के पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण (2) श्मशान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण (3) बड़े तालाब पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण कार्य किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (क्रमशः खसरा क्रमांक 802, 818/2, 804, क्षेत्रफल 0.635 हेक्टेयर, 0.324 हेक्टेयर, 0.267 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा सी.ई.आर. के अंतर्गत 17 खदानों हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

(1) ठेलकाडीह सरहद से ग्राम डुमरडीकला के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ (कुल लम्बाई 1.4 कि.मी.) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के

लिए 76,000 राशि रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,99,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,97,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(2) शमशान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी (क्षेत्रफल 3,240 वर्गमीटर) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 72 नग पौधों के लिए राशि 8,352 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,980 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,23,332 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,68,180 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(3) बड़े तालाब (क्षेत्रफल 9,020 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,69,740 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.5	Following activities at nearby, Village-Dumardihkala	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	11.91
			Total	**11.91**

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्यों में से सी.ई.आर. के अंतर्गत बड़े तालाब (क्षेत्रफल 7,500 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 37,477 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,31,827 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 95,648 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी

उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाए।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

12. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

13. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह पूर्व से संचालित खदान है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्ति के पश्चात् खनिज विभाग के आदेशानुसार ही खनन कार्य किया गया है।

   समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई

दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–2/2019/5095 राजनांदगांव, दिनांक 04/07/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

6. लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 343, रकबा 0.518 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. पूर्व में किये गए वृक्षारोपण की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गए है। पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण नहीं किया गया है साथ ही इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने उपरांत पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाएगा।

9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

12. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब अनुसार कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नही करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 41.696 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारियों/ दस्तावेजों/ अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा) की ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 106/2 एवं 3 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर, क्षमता–8,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी

करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में समाधानाकारक कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/06/2023 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

   पूर्व में एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 23/01/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार–

   A. Proposals involving expansion of existing EC

   i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खुमरडीहकला का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

EC=PIxNxRxSxLF
Where,
EC - Environmental compensation in Rs.
PI - Pollution Index of Industrial Sector
N - Number of days of voilation took place
R - a Factor in Rs. For EC
S - Factor for scale of operation
LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 4,425) /14,625 = 75.6 = say 76 days

Environment Compensation = 80x76x100x0.5x0.5 = Rs. 1,52,000/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि रुपये 1,55,000 की Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

III. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulators such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc." का उल्लेख है।

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,55,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। ताकि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव के खाता में जमा कराया जा सके।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों के लिए अर्थदण्ड की गणना हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:–

Penalty provisions for violation cases and applications:

Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्थदण्ड हेतु गणना कर निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:–

I. आवेदित खदान का कुल लागत 25 लाख रूपये है, उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार कुल लागत का 1 प्रतिशत 25,000 रूपये होता है।

II. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) के अनुसार 10 करोड़ रूपये से अधिक टर्नओवर के व्यवसाय को ऑडिट कराया जाना आवश्यक है। आवेदित खदान का कुल टर्नओवर 25 लाख रूपये है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44(AB) की ऑडिट सीमा से कम है। अतः ऑडिट कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन अवधि के दौरान 4,425 टन उत्खनन किया गया है, प्रति टन में 140 रूपये का टर्नओवर होना बताया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4,425 x 140 x 0.25% = 1,548.75 रूपये = 1,549 रूपये की गणना प्रस्तुत की गई है।

III. इस प्रकार कुल अर्थदण्ड राशि रूपये 26,549/– की गणना कर प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उक्त अर्थदण्ड राशि को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नायब तहसीलदार, राजनांदगांव (घुमका–2) को प्रेषित पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

6. वृक्षारोपण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि वर्तमान में खदान बंद है तथा इस आशय का वचन दिया गया है कि खदान प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. पूर्व में समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई शर्तें यथावत् रहेंगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को भी पत्र लेख किया जाए।

3. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,55,000 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवश्यक रूप से जमा किया जाए। साथ ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त होने के उपरांत माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 976/2019, दिनांक 21/10/2022 के आदेशानुसार मुख्य सचिव के खाता में जमा कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

4. अर्थदण्ड राशि रूपये 26,549/– को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किया जाए।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित

क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्राप्त कर एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमानुसार खदानें कार्य यथावत् जारी रखे जाने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"The representation received from Khaddan Union, District-Rajnandgaon, Chhattisgarh regarding drawing attention and justified cooperation for the loss of economic and revenue due to unnecessary delay by explaining the rules separately in the application submitted by the Environmental Committee (SEAC-CG) for environmental approval on the subject mentioned above. It is kindly requested to refer the representation and provide the status report for further necessary action."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित खदानों को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए) से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी वैधता मार्च 2020 या मार्च 2020 के पूर्व तक की अवधि हेतु थी। सभी परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अधिकांशतः उत्खनन का कार्य मार्च, 2022 तक किया गया है।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्ति के उपरांत भी उत्खनन कार्य किये जाने के कारण उल्लंघन प्रकरण मानते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों को Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Community Augmentation Plan हेतु कार्ययोजना तैयार कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक (भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15/05/2023 द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित खदानों) से पत्राचार किया गया है।

3. एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रकरण लंबित नहीं है। चूंकि अधिकांश परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उपरोक्त के परिपेक्ष्य में जानकारी एस.ई. आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रेषित नहीं की गई है। अतः जानकारी के अभाव में परियोजना प्रस्तावकों के समक्ष प्रकरण लंबित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से "Applications received for compliance certification of the non-coal mining projects for which EC accorded by the DEIAA/SEIAA in the State of Chhattisgarh-regarding." के संबंध में विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत्।**

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 15/06/2023 द्वारा Applications received for compliance certification of the non-coal mining projects for which EC accorded by the DEIAA/SEIAA in the State of Chhattisgarh-regarding. के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"it was informed that validity of the ECs were already expired for the 109 applications received in this Office from the project authorities / SEIAA-Chhattisgarh seeking compliance certification for the projects, which are accorded EC by DEIAAS / SEIAA-Chhattisgarh. Subsequently, received 39 applications in this Office seeking compliance certification and the validity of the EC for those projects also already expired. In most of the cases, SEIAA, Chhattisgarh has expressly communicated that the validity of the EC has already been expired. A consolidated list of projects / applications received so far in this office for compliance certification.

It is reiterated that as per the existing guidelines, compliance certification is issued by this Office for the projects having valid EC in the event of expansion of project or activity. In the absence of valid EC, issuing compliance certification on the stipulated conditions of the already expired EC would tantamount to contravention of the EIA Notification, 2006. Further, neither copy of the EC nor six monthly compliance reports of the projects have been received in this Office.

In view of the above, it is requested that SEIAA-Chhattisgarh may look into the matter and take appropriate action. Further, it is requested that for the valid ECS, at the time of issuance of expansion TOR, SEIAA-Chhattisgarh shall endorse a copy of the TOR to this IRO as stipulated in the O.M. dated 08/06/2022 of MoEF&CC, New Delhi to enable us to take further necessary action."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 150वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र लेख किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 468वीं, 469वीं एवं 470वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/06/2023, 13/06/2023 एवं 14/06/2023 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 18/07/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डी. राहुल वेंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़